

## राजस्थान सरकार

## निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-132/2019/

दिनांक:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
बून्दी।

विषय--श्रीमती सोनिया धारवाल, नर्स-2 अवकाश स्वीकृत करने बाबत।

सन्दर्भ:- निदेशालय के क्रमांक 317 दिनांक 19.03.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित के पत्र के क्रम में श्रीमती सोनिया धारवाल, नर्स-2 (परिविक्षाधीन) का अवकाश स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रकरण में निदेशालय के पत्रांक 1533 दिनांक 31.10.18 के द्वारा वांछित पूर्ण प्रतिउत्तर नहीं भिजवाया है। कि कार्मिका के लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने पर आप द्वारा क्या कार्यवाही की गई? की जानकारी चाही गई थी जो आज दिवस तक अपेक्षित है।

अतः उक्त प्रकरण में वांछित पूर्ण सूचना तैयार कर निदेशालय को भिजवाने का श्रम करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।



संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 01/08/19

क्रमांक-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-132/2019/1032

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बून्दी।
- 2- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 3- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।



संयुक्त निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर